मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः28.02.2025

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत तथा ‘मिशन शक्ति अभियान फेज- 5.0’ के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के नेतृत्व में अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप नाबालिग के साथ छेड़खानी करने के अभियोग से सम्बन्धित आरोपी को करायी गयी 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 5500/- के अर्थदण्ड की सजा —

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन , वाराणसी “पीयूष मोर्डिया” के निर्देशन व पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “सोमेन बर्मा” द्वारा जनपद में चिह्नित महिलाओं/बालिकाओं सम्बन्धित अपराधों सहित लूट , हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है। उक्त अभियान के क्रम में थाना अदलहाट पर नाबालिग के साथ छेड़खानी करने सम्बन्धित अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा 0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी। जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय विशेष न्यायाधीश(पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश मीरजापुर द्वारा दोषसिद्ध आरोपी को03 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 5500/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक09.06.2016 को थाना अदलहाट क्षेत्रान्तर्गत निवासिनी एक महिला द्वारा नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ छेड़खानी करने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी। जिसके आधार पर थाना अदलहाट पर मु 0अ0सं0-401/2016 धारा 147,452,323,354,504,506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई। मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त मो0जीशान को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय/जेल भेजा गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “सोमेन बर्मा” द्वारा “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत तथा महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण अभियान “मिशन शक्ति फेज-5.0” के क्रम में नाबालिग के साथ छेड़खानी सम्बन्धित उक्त घटना को प्राथमिकता देते हुए थाना अदलहाट पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए गुणवत्तापूर्ण तथा सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कराया गया। अभियोजन अधिकारी-एडीजीसी सनातन कुमार , विवेचक-उपनिरीक्षक मनोज कुमार ठाकुर , पैरोकार-मुख्य आरक्षी प्रदीप कुमार तथा कोर्ट मुहर्रिर महिला मुख्य आरक्षी सुमन कुमारी व आरक्षी आनन्द सिंह द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी। जिसके फलस्वरूप मा0न्यायालय विशेष न्यायाधीश(पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश मीरजापुर-सुरेन्द्र कुमार राय द्वारा मुकदमा उपरोक्त में दोषसिद्ध अभियुक्त- मो0जीशान पुत्र इमरान निवासी रसूलागंज थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर को अंतर्गत धारा 354(क) भादवि सपठित धारा-8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम व 147,323/149,452 भादवि में 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 5500/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी , अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा जबकि अभियुक्तगण मो0इमरान पुत्र शफीउल्लाह, इरफान पुत्र मोइन , इरसाद पुत्र मो 0इमरान व सरताज पुत्र गुलाम रसूल निवासीगण रसूलागंज थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर, प्रत्येक को परिवीक्षा अधिनियम के तहत ₹ 25000/- के व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं 02 वर्ष की परिवीक्षा पर शर्त के अनुसार छोड़ा गया।

Mirzapur Police

Meticulous Investigation & Prosecution

थाना अदलहाट

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन पर चलाये जा रहे अभियान **#OperationConviction** के तहत थाना अदलहाट पर पंजीकृत अभियोग **मु0अ0सं0-401/2016 धारा 354क भादवि सपठित धारा-8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम व 147,323/149,452 भादवि** की प्रभावी विवेचना एवं पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांकः28.02.2025 को मा0न्यायालय द्वारा **दोषसिद्ध अभियुक्त मो0जीशान पुत्र इमरान निवासी रसूलागंज थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर** को **03 वर्ष के कठोर कारावास** व **₹ 5500/-** के **अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

लोक अभियोजक
एडीजीसी – सनातन कुमार

पैरोकार
मुख्य आरक्षी – प्रदीप कुमार

कोर्ट मोहर्रिर
महिला मुख्य आरक्षी — सुमन कुमारी
आरक्षी – आनन्द सिंह

विवेचक
उप-निरीक्षक— मनोज कुमार ठाकुर

@mirzapurpolice | Mirzapur Police | mirzapur.police